न्यायालय सहायक कलक्टर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी–अरूण कुमार जैन (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 35 / 2021 राजस्व वाद

उनवान

1. गिरीराज पुत्र स्व० श्री विष्णुदत्त त्रिवेदी (ब्राह्मण) आयु वयस्क निवासी– पुर तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०)
2. कान्ता पुत्री स्व० श्री विष्णुदत्त त्रिवेदी (ब्राह्मण) आयु वयस्क निवासी– पुर तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०)
3. शकुन्तला पुत्री स्व० श्री विष्णुदत्त त्रिवेदी (ब्राह्मण) आयु वयस्क निवासी– पुर तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०)
4. मन्जू पुत्री स्व० श्री विष्णुदत्त त्रिवेदी (ब्राह्मण) आयु वयस्क निवासी– पुर तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०)

वादीगण

बनाम

1. मुकेश पुत्र स्व० श्री प्रहलादराय त्रिवेदी (ब्राह्मण) आयु वयस्क निवासी– पुर तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०)
2. ललिता पुत्री स्व० श्री प्रहलादराय त्रिवेदी (ब्राह्मण) आयु वयस्क निवासी–पुर तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०)
3. विनोद पुत्र स्व० श्री प्रहलादराय त्रिवेदी (ब्राह्मण) आयु वयस्क निवासी– पुर तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०)
4. सुनील पुत्र स्व० श्री प्रहलादराय त्रिवेदी (ब्राह्मण) आयु वयस्क निवासी–पुर तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०)
5. श्रीमती गीता देवी पत्नी श्री प्रहलादराय त्रिवेदी (ब्राह्मण) आयु वयस्क निवासी– पुर तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०)
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, भीलवाड़ा (राज०)
7. उपपंजीयक, पंजीयन कार्यालय, भीलवाडा (राज०)

प्रतिवादीगण

उपस्थिति–

वादी अधिवक्ता श्री भैरूलाल बापना उपस्थित

प्रतिवादीगण अनुपस्थित

वादपत्र बाबत घौषणा, इन्द्राज दुरुस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा वादपत्र अन्तर्गत धारा– 88,89, 92–क, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सपठित धारा 136 राज0 भू राजस्व अधिनियम

निर्णय

दिनांक–31.01.2025

वादीगण की ओर से दिनांक 31.08.2021 को अन्तर्गत धारा 88, 89, 92क एवं 188 राजथान काश्तकारी अधिनियम व धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम में वादपत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वादीगण के पिता विष्णुदत्त त्रिवेदी एवं प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 05 के दादा व श्वसुर जयशंकर त्रिवेदी दोनो आपस मे सगे भाई है। ग्राम पुर पटवार हल्का पुर प्रथम भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र पुर तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०) के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में खाता संख्या 2016 मे आराजी नम्बर 4441 रकबा 0.1644 हैक्टयर, आराजी नम्बर 4579 रकबा 0.2655 हैक्टयर भूमि स्थित है। एक अन्य आराजी संख्या 3809 के साथ राजस्व रेकार्ड जमाबंदी संवत 2061–2064 मे वादीगण के पिता विष्णुदत्त व प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 05 के दादा व श्वसुर जयशंकर के नाम पर 1/2, 1/2 हक हिस्से अनुसार राजस्व रेकार्ड में दर्ज थी। वादीगण के पिता विष्णुदत्त द्वारा आराजी नम्बर 3809 मे अपना 1/2 सम्पूर्ण हक हिस्सा प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 05 के दादा व श्वसुर जयशंकर तिवाडी

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

को रिलीज डीड पंजीकृत दिनांक 15.03.2004 के जरिये हक त्याग किया गया। ग्राम पुर की आराजी नम्बर 4441 व 4579 कुल किता 02 कुल रकबा 0.04299 है0 भूमि मे वादीगण के पिता विष्णुदत्त का 1/2 हक हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 05 के दादा व श्वसुर जयशंकर का 1/2 हक हिस्सा निहित होकर विष्णु दत्त व जयशंकर के देहान्त उपरान्त वादीगण 1/2 हक हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 05 जो कि 1/2 हक हिस्से की भूमि पर काबिज होकर उसका उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। वादीगण ग्राम पुर की आराजी संख्या 4441 रकबा 0.1644 हैक्टयर तथा आराजी संख्या 4579 रकबा 0.2655 हैक्टयर भूमि में अपने 1/2 हक हिस्से पर निर्वाध रूप से आमजन व पक्षकारों की जानकारी मे निर्बाध रूप से काबिज होकर उसका उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। आज भी ग्राम पुर की आराजी नम्बर 4441 व 4579 कुल किता 02 कुल रकबा 0.04299 है0 भूमि में वादीगण का 1/2 हक हिस्से की भूमि पर कब्जा एवं उपयोग उपभोग है।

दिनांक 01 जून 2019 को प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 05 द्वारा वादीगण को ग्राम पुर की आराजी संख्या 4441 रकबा 0.1644 हैक्टयर तथा आराजी संख्या 4579 रकबा 0.2655 हैक्टयर भूमि वादीगण का नाम दर्ज नहीं होने से वादीगण को बेदखल करने व आराजियात को अन्य को रहन, विकय, हस्तांतरण करने की धमकी दी, इस पर वादीगण ने राजस्व रेकार्ड की जानकारी की तो पता चला कि वादीगण के पिता द्वारा प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 05 के दादा व श्वसुर जयशंकर को केवल मात्र आराजी नम्बर 3809 में अपना हक हिस्सा रिलीज डीड के जरिये हक त्याग किया गया, जो नामान्तरणकरण संख्या 4150 पंजीकृत रिलीज डीड दिनांक 14 मार्च 2005 के आधार पर जयशंकर जी के पक्ष मे खोला गया, लेकिन राजस्व रेकार्ड में आराजी नम्बर 3809 के साथ–साथ ग्राम पुर की आराजी संख्या 4441 रकबा 0.1644 हैक्टयर तथा आराजी संख्या 4579 रकबा 0.2655 हैक्टयर भूमि का भी जमाबंदी मे अंकन होने से पूरे खाते मे विष्णुदत्त का हिस्सा जयशंकर के नाम पर दर्ज करने का इन्द्राज हो गया, जिससे ग्राम पुर की आराजी संख्या 4441 रकबा 0.1644 हैक्टयर तथा आराजी संख्या 4579 रकबा 0.2655 हैक्टयर भूमि में सम्पूर्ण हिस्सा प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 05 के दादा व श्वसुर जयशंकर के नाम पर दर्ज हुई है, जो गलत है। वादीगण राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती करा अपना 1/2 हक हिस्सा अपने नाम पर दर्ज कराने व खातेदार काश्तकार घौषित होने के अधिकारी है।

इस पर वादी द्वारा प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 05 को उक्त तथ्यो से अवगत कराया गया व वादीगण के नाम पर उनका 1/2 हक हिस्सा दर्ज कराने हेतु निवेदन किया, जिस पर वादीगण के नाम पर दर्ज कराने का आश्वासन दिया गया व वादीगंण द्वारा प्रतिवादी संख्या 06 के समक्ष समस्त दस्तावेजात पेश कर दिनांक 30 सितम्बर 2019 को दुरूस्त करने हेतु प्रार्थनापत्र पेश किया गया, जिस पर प्रतिवादी संख्या 06 द्वारा राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त करने का आश्वासन दिया गया, लेकिन आज दिन तक वादीगण का नाम दर्ज नहीं किया गया व बार बार टालमटोल करते चले आ रहे है। ग्राम पुर की आराजी संख्या 4441 रकबा 0.1644 हैक्टयर तथा आराजी संख्या 4579 रकबा 0.2655 हैक्टयर भूमि राजस्व रेकार्ड मे वादीगण के नाम पर दर्ज नहीं होने व प्रतिवादीगण के नाम पर दर्ज होने से प्रतिवादीगण की नियत मे फितुर पैदा हो गया है व दिनांक 20 अगस्त 2021 को प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 05 अजनबी व्यक्तियो को लेकर आये व वादीगण को जबरन बेदखल करने व आराजियात को अन्य को रहन, विकय, हस्तांतरण करने की धमकी दी व प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण का नाम राजस्व रेकार्ड मे दर्ज कराने से मना कर दिया व भूमि को खुर्द बुर्द करने की धमकी दी। इस कारण से वादीगण को उक्त वादपत्र बाबत घौषणा, इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा का पेश करने के अलावा अन्य कोई विकल्प नही होने से यह वादपत्र पेश किया गया है।

ग्राम पुर पटवार हल्का पुर प्रथम भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र पुर तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज0) के खाता संख्या 2016 मे आराजी नम्बर 4441 रकबा 0.1644 हैक्टयर, आराजी नम्बर 4579 रकबा 0.2655 हैक्टयर भूमि राजस्व कर्मचारीयो द्वारा वादीगण के पिता विष्णुदत्त जी के हक हिस्से की भूमि को भी प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 05 दादा ससुर जी के नाम पर दर्ज कर दी है, वादीगण राजस्व रेकार्ड मे दुरूस्ती करा, अपना 1/2 हक हिस्सा

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

दर्ज करवाने व खातेदार काश्तकार घोषित होने के अधिकारी होने से घोषणात्मक डिकी बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 05 जारी करने हेतु वादपत्र पेश किया गया है।

वादीगण का वादपत्र पंजीबद्ध किया गया। प्रतिवादीगण को सम्मन जारी किए गए। दिनांक 07.01.2022 को प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 05 के सम्मन बाद तामील प्राप्त हुये। प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 05 के उपस्थित नहीं होने से दिनांक 07.01.2022 को इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिए गए तथा प्रकरण साक्ष्यवादी में नियत किया गया।

दिनांक 11.11.2022 को वादी संख्या 1 स्वयं एवं गवाह कमलेश कुमार सोनी का साक्ष्य में शपथ पत्र पेश किया गया। शपथपत्र का मुख्य परीक्षण करवाया गया तथा प्रस्तुत दस्तावेजात प्रदर्श करवाये गये। वादीगण की साक्ष्य दिनांक 11.11.2022 को बंद की गई। प्रकरण वास्ते बहस नियत किया गया।

वादी द्वारा दौराने अपने वादपत्र के समर्थन में साक्ष्य स्वरूप विष्णुदत जी द्वारा जयशंकर के पक्ष में दिनांक 15.03.2004 को पंजीकृत हकत्याग पत्र की प्रमाणित प्रति प्रदर्श पी–1, आराजी नम्बर 3809 ग्राम पुर के नामान्तरण संख्या 4150 की प्रमाणित प्रति प्रदर्श पी–2, ग्राम पुर पटवार हल्का पुर भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा के खाता संख्या 47 की जमाबन्दी सन् 2077 की प्रति प्रदर्श पी–3, ग्राम पुर पटवार हल्का पुर भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा के खाता संख्या 48 की सन् 2077 की जमाबन्दी प्रतिलिपि प्रदर्श पी– 4, ग्राम पुर पटवार हल्का पुर भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा के खाता संख्या 592 की सन् 2077 की जमाबन्दी की प्रतिलिपि प्रदर्श पी– 5, ग्राम पुर पटवार हल्का पुर भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा के खाता संख्या 2016 की जमाबन्दी 2077 (वर्ष 2021) की प्रतिलिपि प्रदर्श पी– 6, पेश किये गये।

वादी अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई। वादी अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस वादपत्र के तथ्यों को दौहराते हुये निवेदन किया कि ग्राम पुर की आराजी नम्बर 3809 रकबा 5 बीघा 2 बिस्वा भूमि का वादीगण के पिता द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 के दादा व श्वसुर श्री जयशंकर पुत्र रखबलाल के पक्ष में पंजीकृत हकत्यागपत्र दिनांक 15.03.2004 से अपना सम्पूर्ण हक हिस्से का परित्याग कर दिया था। उक्त पंजीकृत हकत्यागपत्र के आधार पर पटवारी हल्का पुर प्रथम द्वारा नामान्तरण संख्या 4150 से आराजी नम्बर 3809 रकबा 5 बीघा 2 बिस्वा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 के दादा व श्वसुर जयशंकर पुत्र रखबलाल के नाम दर्ज करने की कार्यवाही की थी। परन्तु उक्त नामान्तकरण संख्या 4150 का जब जमाबन्दी में अमल दरामद किया गया तब ग्राम पुर के उसी खाते में दर्ज अन्य आराजी नम्बर 4441 व 4579 कुल किता 02 कुल रकबा 0.4299 है0 भूमि को भी प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 के पूर्वज श्री जयशंकर पुत्र रखबलाल के नाम दर्ज कर दिया गया जिसे पंजीकृत हकत्याग पत्र दिनांक 15.03.2004 के तथा नामान्तरण संख्या 4150 के अनुरूप दुरुस्त किया जाना आवश्यक है।

वादी अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस तथा पत्रावली का अवलोकन, अध्ययन एवं मनन किया गया। प्रकरण में प्रथम दृष्टया यह उचित प्रतीत होता है कि पटवारी हल्का पुर प्रथम द्वारा राजस्व रिकॉर्ड में ग्राम पुर के नामान्तरण संख्या 4150 के मुकाबले गलत अमल दरामद किया गया है। पटवारी हल्का पुर प्रथम द्वारा नामान्तरण संख्या 4150 के निर्णय के अनुरूप खसरा नम्बर 3809 में वादीगण के पूर्वज विष्णुदत द्वारा अपना हिस्सा परित्याग कर दिये जाने से तदनरूप राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाना था, परन्तु ग्राम पुर के नामान्तरण संख्या 4150 का जमाबंदी में अमल दरामद करते समय अन्य आराजी नम्बर 4441 व 4579 में वादीगण के पूर्वज विष्णुदत के 1/2 हिस्से को प्रतिवादीगण के पूर्वज जयशंकर के नाम सम्पूर्ण हिस्सा दर्ज कर दिया गया, जो पंजीकृत हक त्याग पत्र दिनांक 15.03.2004 व नामान्तरण संख्या 4150 के मुकाबले गलत अमल दरामद किया गया है।

3/11/25

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

—:आदेश:—

अतः उपरोक्त विवेचनानुसार ग्राम पुर की आराजी नम्बर 4441 रकबा 0.1644 हैक्टयर तथा आराजी नम्बर 4579 रकबा 0.2655 हैक्टयर कुल किता 02 कुल रकबा 0.4299 हैक्टयर भूमि में 1/2 हिस्से का वादीगण को खातेदार काश्तकार विरूद्ध प्रतिवादीगण घोषित किया जाता है। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। डिक्री पर्चा जारी हो।

31/1/25

(अरूण कुमार)
सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

मूल वाद में डिकी
(आदेश 20 नियम 6–7 जा0दी0)

न्यायालय सहायक कलक्टर भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी–अरूण कुमार जैन, आर.ए.एस.

1. गिरीराज पुत्र स्व० श्री विष्णुदत्त त्रिवेदी (ब्राह्मण) आयु वयस्क निवासी– पुर तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०)
2. कान्ता पुत्री स्व० श्री विष्णुदत्त त्रिवेदी (ब्राह्मण) आयु वयस्क निवासी– पुर तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०)
3. शकुन्तला पुत्री स्व० श्री विष्णुदत्त त्रिवेदी (ब्राह्मण) आयु वयस्क निवासी– पुर तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०)
4. मन्जू पुत्री स्व० श्री विष्णुदत्त त्रिवेदी (ब्राह्मण) आयु वयस्क निवासी– पुर तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०)

वादीगण

बनाम

1. मुकेश पुत्र स्व० श्री प्रहलादराय त्रिवेदी (ब्राह्मण) आयु वयस्क निवासी– पुर तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०)
2. ललिता पुत्री स्व० श्री प्रहलादराय त्रिवेदी (ब्राह्मण) आयु वयस्क निवासी–पुर तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०)
3. विनोद पुत्र स्व० श्री प्रहलादराय त्रिवेदी (ब्राह्मण) आयु वयस्क निवासी– पुर तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०)
4. सुनील पुत्र स्व० श्री प्रहलादराय त्रिवेदी (ब्राह्मण) आयु वयस्क निवासी–पुर तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०)
5. श्रीमती गीता देवी पत्नी श्री प्रहलादराय त्रिवेदी (ब्राह्मण) आयु वयस्क निवासी– पुर तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०)
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, भीलवाड़ा (राज०)
7. उपपंजीयक, पंजीयन कार्यालय, भीलवाडा (राज०)

प्रतिवादीगण

वादपत्र बाबत घौषणा, इन्द्राज दुरुस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा वादपत्र अन्तर्गत धारा– 88,89, 92–क, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

सपठित धारा 136 राज0 भू राजस्व अधिनियम

प्रकरण संख्या 351/2011 राजस्व वाद

वादीया एवं वादी अधिवक्ता श्री भैरूलाल बापना उपस्थित – इस वाद में आज तारीख 31.01.2025 को पीठासीन अधिकारी अरूण कुमार जैन, आर.ए.एस. सहायक कलक्टर भीलवाडा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर निम्न आदेश दिया गया है, जिसके अन्तर्गत डिकी दी जाती है–

ग्राम पुर की आराजी नम्बर 4441 रकबा 0.1644 हैक्टयर तथा आराजी नम्बर 4579 रकबा 0.2655 हैक्टयर कुल किता 02 कुल रकबा 0.4299 हैक्टयर भूमि में 1/2 हिस्से का वादीगण को खातेदार काश्तकार विरूद्ध प्रतिवादीगण घोषित किया जाता है।

31/1/25

(अरूण कुमार जैन)
सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

सहायक कलक्टर
भीलवाडा